

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 639वीं बैठक दिनांक 25/04/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No. 9292/2022 Executive Engineer, Office of the Executive Engineer, Narmada Development Division No. 08, Sanawad, Dist. Khargone, MP. Prior Environment Clearance for Sanwer Micro Lift Irrigation Scheme at Village - Kandiyakund, Tehsil - Badwah, Dist. Khargone, MP . CCA: 80,003 ha. GCA: 1,20,401 ha., Benefitted Villages: 272 Nos., Cat. 1(c) River Valley and Hydroelectric Projects. Env. Con. -M/s. R. S. Envirolinks Technologies Pvt. Ltd. Gurgaon.**

This is a Micro Lift Irrigation Scheme involving 80,003 ha. of CCA and 1,20,401 GCA. The lifting point is Omlareshwar reservoir in district Khandwa. The application for EC was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP.

The ToR was recommended in the 594th SEAC meeting dated 21.09/22 and PP has submitted online EIA report through portal.

The EIA was presented by Mr. Ravinder Bhatia, (Online) and Ms. Dimple Rajdan, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon along with PP's Shri J.S. Ranawat, Executive Engineer, ND Division, Sanawad. During presentation, following details were submitted:

Project Description:

Sanwer Micro Lift Irrigation Scheme is planned to irrigate 80,003 ha of Culturable Command Area (CCA) spread in 80 villages of Sanwer tehsil, 47 villages of Khudel tehsil

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

& 26 villages of Kanadiya tehsil of Indore district, 59 villages of Barwah tehsil of Khargone district and 7 villages of Ujjain tehsil of Ujjain district with water sourced from OSP reservoir.

The Scheme has following components:

1. Pump Houses (4 Nos.)
2. Distribution Chamber (2 Nos.)
3. Substation
4. Transmission line
5. Rising main
6. Gravitymain
7. Branch mains (MS/DI/HDPE) up to 20ha Chak
8. Distribution Network (HDPE) from 20 ha chak to 2.5 ha chak
9. Flow & Pressure Control Valves, Air valves

In the proposed scheme, 31 cumec of water will be lifted from existing Omkareshwar reservoir near village Kandiyakund in four stages through various combinations of rising mains and gravity mains up to Distribution Chambers near Kalapatha village in Barwah tehsil, Khargone district and near village Sanawadia, Shivni & Ramgarh in Indore tehsil, Indore district. Water will be distributed to command area upto 2.5ha chak outlets by joining rising mains and Gravity mains to the primary and secondary distribution networks.

Salient Features:

1	Name of the Project	Sanwer Micro Lift Irrigation Scheme
2	Type of Project	Major Lift Irrigation Project
3	Location	
	i) Supply Source	Omkareshwar Reservoir, Khargone district
	ii) Lifting Point	Omkareshwar Reservoir in district Khargone near Kandiyakund
	iii) Command	Indore, Khargone and Ujjain districts
4	Access to the Project	
	i) Nearest Airport	Devi Ahilya Airport, Indore (M.P.)
	ii) Nearest Rail Head	Khandwa and is i) 70 Km from Omkareshwar Project ii) 70 km from lifting point iii) 55 km from junction structure delivery point

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

5	Interstate Aspects	
	i) State/country wise details of catchment	Not applicable
	ii) Submergence due to Project	No submergence due to project, as it is a lift scheme
	iii) Water Allocation for the State	The quantum of water for this project is included in the water share of MP as per NWDT award
	iv) Water Allocation for other states	Not applicable
6	Estimated life of the project	50 Years
7	Irrigation (ha.)	
	(a) Gross command area (GCA)	1,20,401 ha
	(b) Culturable command area (CCA)	80,003 ha
	(c) Irrigation Period	Rabi – 100%
8	Total Discharge (cumec)	31.0 cumec
	Irrigation	28.0 cumec
	Industrial	1.50 cumec
	Domestic	1.50 cumec
9	Power Requirement (MW)	155.28 MW
10	Rising Main/Distribution System	Piped - MS/DI/HDPE
11	Cost of the project	3046.65 Crores
12	B.C. Ratio	2.18
13	Protected Areas (PA) in vicinity	No protected area within 10 Km; nearest PA is Ralamandal WLS – 10.75 Km

Total Land Requirement is of 147.06 ha out of which of:

- Forest Land: 137.06 ha
- Private/government land: 10 ha

S.No.	Component	Forest Land	Non Forest Land
1	Approach Channel	10.660	
2	Pipeline	98.931	

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

3	PS-1	9.671	
4	PS-2	8.536	
5	PS-3	6.250	
6	DC-1	2.16	
7	DC-2	0.852	
8	PS-1A		5.00
9	Filtration Units		5.00
		137.06	10.00

During presentation PP inform that proposal for diversion of forest land has been submitted vide reference no.FP/MP/HYD/IRRIG/412965/2023 and Public Hearing Meetings were conducted as per as per notification wherein most of the attendees have praised the project and felt the need for water for irrigation and drinking, baring few who objected that enough water is available in the villages. Following are main points discussed during public hearing meetings:

- How will we get the compensation amount for pipeline crossing our farms?
- Irrigation water should be given on time; Make the water of Narmada Yojana available to the villagesfor drinking purpose
- If any public life is affected by this project, then a solution should be found immediately.
- Should employment opportunities be made available to the villagers?
- The animals affected by this project should be protected
- Plantation should be done
- There is adequate water supply in our village. Government funds should not be misused. Indus river has water for 12 months
- How much compensation will someone get if water comes through pipe in his field?
- Drains and toilets should be constructed in the village to remove the dirty water.
- The land of the village is also being acquired. Proper compensation should be given.

Following commitments were made during Public hearing:

- Compensation to land and property acquiring for the construction of permanent structures (PH, DC etc.) will be done "as per the provisions mentioned in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

- To improve the green cover for the improvement of flora and fauna in the command area, it is proposed to plant trees on the boundary of the approach channel, approach road and inspection path, pump house.
- More employment opportunities will be available for the local people in this project.
- Farmers will be benefited from the above irrigation project. The pipes used in the above project will be installed in the depth of 1.2 meters of the land, so there will be no loss of the land of the farmers, nor will the land be acquired permanently.

During presentation, PP submitted that the excess soil generated from digging of pipeline will be given to farmers with their consent for agriculture use. Budget allocated under the head, Biodiversity Conservation Plan was discussed and SEAC recommended that budget will be utilised for biodiversity conservation and staff welfare in Ralamandal Wildlife Sanctuary. SEAC further recommended that under the energy conservation head, instead of solar lighting, provision of solar pumps should be made and also to explore the possibility of involving PHCs during implementation of Public Health Delivery System. During discussion Committee suggested that in the forest area perennial grass and shrubs species shall be planted on the dugout portion of pipeline and entire plantation shall be carried out through Forest Development Corporation, Indore. During presentation, PP submitted that the total cost of EMP is 3025.32 lakhs and cost for commitments made during public hearing (CER) is 100.00 lakhs. The submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case of Prior Environment Clearance for Sanwer Micro Lift Irrigation Scheme at Village - Kandiyakund, Tehsil - Badwah, Dist. Khargone, MP [Gross Command Area – 1,20,401 Ha., Culturable Command Area – 80,003 Ha.] Category: 1(c) River Valley and Hydroelectric Projects is recommended with following conditions:

I. Statutory compliance:

- i. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project
- ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.
- iii. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (in case of the presence of schedule-I species in the

study area)

- iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee
- v. Necessary approval of CEA shall be obtained for those power projects having the project cost more than Rs. 1,000 crore.

II. Air quality monitoring and preservation

- i. Regular monitoring of various environmental parameters viz., Water Quality, Ambient Air Quality and Noise levels as per the CPCB guidelines at designated locations shall be carried out on monthly basis and a detailed database of the same shall be prepared and recorded. This shall be used as a baseline data for post construction EIA / Monitoring purposes.
- ii. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed standards.
- iii. Necessary control measures such as water sprinkling arrangements, etc. be taken up to arrest fugitive dust at all the construction sites.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. Conjunctive use of surface water to be planned in the project to check water logging as well as to increase crops productivity. The field drains shall be connected with natural drainage system.
- ii. Remodeling of existing natural drains (link drains) and connecting them with irrigated land through constructed field drains, collector drains, etc. are to be ensured on priority basis.
- iii. Mixed irrigation shall be practiced and necessary awareness be given to all the farmers and trained in the use of such systems. Proper crops selection shall be carried out for making irrigation facility more effective.
- iv. On Farm Development (OFD) works like landscaping, land leveling, drainage facilities, field irrigation channels and farm roads, etc. should be taken up in phased manner prior to the start of irrigation in the entire command area. The Command Area Development Plan should be strictly implemented as proposed in the EIA/EMP report.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. All the equipment likely to generate high noise shall be appropriately enclosed or inbuilt noise enclosures be provided so as to meet the ambient noise standards

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

as notified under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, as amended in 2010 under the Environment Protection Act (EPA), 1986.

- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time .

V. Waste management

- i. Muck disposal (15.20 lakh cum) be carried out only in the approved and earmarked sites. The dumping sites shall be located sufficiently away from the HFL of the river. Efforts be made to reuse the muck for construction and other filling purposes and balanced be disposed of at the designated disposal sites. Once the muck disposal sites are inactive, proper treatment measures like both engineering and biological measures be carried out so that sites are stabilized quickly.
- ii. Solid waste management should be planned in details. Land filling of plastic waste shall be avoided and instead be used for various purposes as envisaged in the EIA/EMP reports. Efforts be made to avoid one time use of plastics.

VI. Green Belt, EMP Cost and Wildlife Management

- i. Wildlife Conservation Plan prepared shall be implemented in consultation with the local State Forest Department.
- ii. To enrich the habitat of the project site, plantation shall be raised as envisaged in the EIA/EMP report. Plantation in 2.469 ha area to be developed in multi-layers with local indigenous species through self/ M.P. Van Vikas Nigam, Indore on the both side road and pump house.
- i. In addition, 98.93 ha of the forest land proposed to be diverted for underground pipeline and transmission line and after digging & filling this area will be planted with Medicinal plants, Perennial Grass & Shrubs species over the acquired forest land through forest department after their approval under Compensatory afforestation programme. Ecological damage in concern fauna & flora to be assessed.

VII. Public hearing and Human health issues

- ii. Resettlement & Rehabilitation plan be implemented in consultation with the State Govt. as approved by the State Govt.
- iii. Budget provisions made for the community and social development plan including community welfare schemes shall be implemented in toto.
- iv. Preventive measures viz. fuming and spraying of mosquito control shall be done

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

in and around the labour colonies, affected villages, stagnated pools, etc. Provisions be made to not to create any stagnated pools to avoid creation of breeding grounds of the vector borne diseases

- v. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- vi. Labour force to be engaged for construction works shall be examined thoroughly and adequately treated before issuing them work permit. Medical facilities shall be provided at the construction sites.
- vii. Emergency preparedness plan be made for any eventuality of any failure and shall be implemented.

VIII. Corporate Environment Responsibility

- i. A budgetary provision of Rs. 100 Lakh is made for the local area development-CER activities based on the issues raised in the public hearing meetings and commitments made by the project proponent as follows:

S. No.	Component	Amount (Rs. in lakh)
1.	Education & Infrastructure facilities (toilets/drains) in local 10 nearby villages, Anganwadi, Schools.	20.00
2.	Amount to be paid to Primary Health Centres to carryout various activities. (Such as Equipments, Infrastructure and Health Camps)	20.00
3.	Distribution of fruit bearing species for nearby villagers	05.00
4.	Amount to be paid to Pedmi Vetinary Sub Centre and the village associated with that centre to carryout various activities. (Such as Equipments, Infrastructure and Health/Vaccination Camps)	25.00
5.	Habitat Development (Bio-diversity)& Labor Welfare Activities in Ralamandal WLS, Indore.	25.00
6.	Skill Development Trainings for youth of nearby 10 villages through WRD.	05.00
	TOTAL	100.00

- ii. Skill mapping be undertaken for the youths of the affected project area and based on the skill mapping, necessary trainings to the youths be provided for their long time livelihood generation
- iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year-wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- vi. Post EIA and SIA reports be prepared for the project through a third party and evaluation report be submitted to the Ministry after five years of commissioning of the project.
- vii. Multi Disciplinary Committee (MDC) be constituted with experts from Ecology, Forestry, Wildlife, Sociology, Soil Conservation, Fisheries, NGO, etc. to oversee implementation of various environmental safeguards proposed in EIA/EMP report during construction of the project. The monitoring report of the Committee shall be uploaded in the website of the Company.
- viii. Formation of Water User Association/Co-operative be made by involvement of the whole community be ensured for discipline use of available water for irrigation purposes.

IX. Miscellaneous

- i. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- ii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended

**639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023**

- subsequently and put on the website of the company
- iii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.
 - iv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
 - v. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
 - vi. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
 - vii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

2. Case No 9342/2022 M/s Pushpa Enterprises, Shri Anand Tamrakar, Prop., G- 7, 8, Deendayal Parisar, E-2, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 7.0 ha. (50,000 cum per annum) (Khasra No. 39) Village - Mawaighat-2, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 39), Village - Mawaighat-2, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP 7.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 601वीं दिनांक 19/10/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 25/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति "रिप्लेनिशमेंट

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

प्लान” के अनुसार हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो नई डी.एस. आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है, जिसकी तालिका (पेज न. 74) के सरल क्रमांक-08 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-1,26,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 50,000 घन मीटर की हेतु आवेदन किया गया है। यह रेत खदान केन नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन रेत खदान के पूर्वी भाग से नदी का बहाव दिखाई दे रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र के जिस भाग से नदी बह रही है, वहाँ पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा रेत की निकासी मात्र 3.09 हे. क्षेत्र में से ही की जावेगी। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी अवगत कराया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 50,000 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पश्चिम दिशा से किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, धूल मिट्टी न उड़े इसके लिये जल छिड़काव की व्यवस्था, वृक्षारोपण, धूल के कारण फसल खराब इत्यादि बिन्दुओं पर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव एवं सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जायेगा जिससे फसल पर कोई प्रभाव न पड़े।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 50,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.89 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.54 लाख प्रति वर्ष ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 05.00 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे ।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 8400 वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :-

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (2,000) 4-5 पंक्ति - कटंग बांस (2,000) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (1000)	5000
2.	ग्राम- मवईघाट, गोविंदपुर, भसरोद, जूदीपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3090
3.	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल, जंगल जलेबी, आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	260
4.	मवईघाट सरकारी विद्यालय में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक, नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि ।	50
योग			8400

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

Activities	Cost in Rs
गांव मवईघाट में ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा शिविर की व्यवस्था ।	15,000 / -
ग्राम मवईघाट के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों के बैठने के लिए 15 डेस्क व बेंच के साथ एक कम्प्यूटर भी वितरित किया जाएगा ।	65,000 / -
ग्रामीणों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए पर्यावरण जागरूकता अभियान ।	10,000 / -

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

योग

90,000 /—

3. **Case No 7097/2020 Shri Vinod Kumar Godavarthi, Director, M/s National Energy Trading and Services Limited, R/o Plot No. 7, Bindu Sadan, 401, Sai Chandra Residency, 97 Hyderabad, Rangareddi, TG-500089 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 11.0 ha. (1,18,800 cum per annum) (Khasra No. 1 & 112), Village - Shahpur/Patauwapura, Tehsil - Shahpur, Dist. Betul (MP).**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1 & 112), Village - Shahpur/Patauwapura, Tehsil - Shahpur, Dist. Betul (MP) 11.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 437वीं दिनांक 01/06/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 19/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद कुमार गोदावर्ती (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्विंटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में यह खदान मेसर्स होटल उमा रेसीडेंसी, सतना के नाम से स्वीकृत थी तथा बाद में उनको 30/06/23 तक खनन कार्य हेतु स्थानांतरित की गई।

समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान माचना नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के कुछ भाग में पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी दिशा में खदान से लगा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु निर्माणाधीन एक पुल परिलक्षित हो रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह निमाणाधीन खदान पुल के अपस्ट्रीम में है इस कारण 500 मीटर का सेट बैक निमाणाधीन पुल के पिलर फाउंडेशन से छोड़ा गया है तथा सेट बैक छोड़ने के बाद खनन क्षेत्र हेतु 06.60 हे. उपलब्ध है जिससे वांछित रेत की मात्रा निकाली जा सकती है तथा पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुतीकरण में दिया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी अवगत कराया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 1,18,800 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन उत्तर-पश्चिम दिशा से किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में पेज नं.-49 के सरल क्रमांक-43 पर माईनेवल

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)–1,18,800 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 1,18,800 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) के बराबर है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, धूल मिट्टी न उड़े इसके लिये जल छिड़काव की व्यवस्था, वृक्षारोपण, सड़क की मरम्मत, ट्रैक्टर से रेत का परिवहन, जमीन का क्षरण/कटाव, रियायती दरो पर रेत एवं ध्वनी प्रदूषण इत्यादि बिन्दुओं पर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा तथा जमीन का क्षरण/कटाव रोकने के लिए नदी के किनारो पर घांस व वृक्षो का वृक्षारोपण किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने अनुशंसा की कि नदी के किनारे के कटाव को रोकने के लिए रेत की बोरी का जमाव (तिरछी तकनीक से) किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 1,18,800 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 04.23 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.14 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 04.20 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयं वृक्षो की

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

प्रजातियों चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे ।

5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :-

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Up to June 2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	5000
Up to June 2023	Evacuation route	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi, Kadam and other local species.	1000

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 17.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
Proposal	Details	Budget in Lakh Rs
Maintenance of village road	Maintenance of village road (2.10km@2.00laks per km	4.20
Plant distribution	5000 trees will be distributed to villagers/local administrative office/NGOs	2.50
Construction of WBM Village road	Construction of WBM Village road – 1.00km- 9.00lacs	9.00
Provision of sand filled bag at river bank	Laying of sand filled bags at river bank to prevent the erosion of nearby land .	2.0
Total		17.70

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

4. Case No 9586/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Astot Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (13,110 cum per annum) (Khasra No. 587, 646, 654), Village-Astot, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP).

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 587, 646, 654), Village-Astot, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 08 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण पूर्व में सेक की 622वीं बैठक दिनांक 21/02/23 में प्रस्तुत हुआ था जिसमें प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दतिया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ हैं जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ हैं। उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करें। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जायें।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से खनिज अधिकारी ने (ई-मेल के माध्यम से) सूचित किया है कि सेक की बैठक दिनांक 21 फरवरी के परिपालन में जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोऑर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर रहे हैं अतः इनके अनुसार डी.एस.आर. में संशोधन एवं रेत खनन प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का कष्ट करें। द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है जिस कारण प्रकरण मीटिंग हेतु नियत किया गया है।

आज दिनांक 25/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोऑर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोऑर्डिनेट आधार पर पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान पाहुज नदी में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रस्तुत संशोधित जानकारी (पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023) अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्न क्रमांक-III पर 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-28,800 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 13,110 m³/year घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है किंतु खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से सूचित किया गया है कि इस प्रकरण में निविदा अनुसार स्वीकृत मात्रा 2000 घनमीटर है, अतः समिति की अनुशंसा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति 2000 घनमीटर हेतु ही अनुशंसित की जाये।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान दो भागों में आवंटित है जिसके कुछ भाग में से नदी प्रवाहित हो रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गूगल इमेज सितम्बर, 22 माह की है जिस कारण पानी भरा हुआ दिख रहा है। जनवरी – फरवरी माह से पानी उतर जाता है तथा खनन योग्य रेत उपलब्ध होती है जिसकी पुष्टि पुरानी गूगल इमेज से की जा सकती है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा खनन क्षेत्र का वह भाग जो नदी में डूबा है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा डूब क्षेत्र होने के कारण 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ही खनन कार्य किया जावेगा जिससे 2000 घनमीटर रेत निकाली जा सकेगी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम भाग से किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पाहुज नदी में आवंटित है जो म.प्र. एवं उ.प्र. की सीमा भी निर्धारित करती है किंतु दिये गये अक्षांश-देशांश के अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र का कुछ भाग गूगल इमेज अनुसार उत्तर प्रदेश में दृष्टिगत हो रहा है जिसमें संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गूगल इमेज अनुसार जो म.प्र. एवं उ.प्र. की सीमा दिख रही है वह इमेजनरी लाईन है तथा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के अनुसार खदान म.प्र. की सीमा में ही आवंटित है। समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पिट पास जारी करने के पूर्व संबंधित खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करले कि आवंटित खनन क्षेत्र म.प्र. की सीमा में ही है तथा खनन कार्य भी सिर्फ म.प्र. की सीमा में ही हो।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतः समिति की यह अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से “कनवरजेंस स्कीम” (संमिलन योजना) के तहत कराये। यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 2,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 0.8.73 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.13 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

4. परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपसए गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (500) 4-5 पंक्ति - कटंग बांस (400) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (100)	1000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलौं, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3050
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	750
कुल			4800

5. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.69 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम अस्टोट स्थित प्राथमिक विद्यालय में झूले एवं फिसलपट्टी लगवाई जाएगी।	29600
ग्राम अस्टोट स्थित प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत कार्य तथा सौन्दर्यीकरण	40,000
योग	69,600

5. **Case No 9579/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP) - 477660, Prior Environment Clearance for Kanjoli-2 Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (5,130 cum per annum) (Khasra No. 01), Village-Kanjoli-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village-Kanjoli-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.90 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 31 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दतिया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ हैं जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ हैं। उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करे। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से खनिज अधिकारी ने (ई-मेल के माध्यम से) सूचित किया है कि सेक की बैठक दिनांक 21 फरवरी के परिपालन में जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस.

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर रहे हैं अतः इनके अनुसार डी.एस.आर. में संशोधन एवं रेत खनन प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का कष्ट करे। द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है जिस कारण प्रकरण मीटिंग हेतु नियत किया गया है।

आज दिनांक 25/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट आधार पर पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रस्तुत संशोधित जानकारी (पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023) अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्न क्रमांक—III पर 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल—14,700 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5,130 m³/year पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था किंतु खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से सूचित किया गया है कि इस प्रकरण में निविदा में स्वीकृत मात्रा 5000 घनमीटर है, अतः समिति की अनुशंसा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति 5000 घनमीटर हेतु ही अनुशंसित की जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के अधिकांश 60—65 प्रतिशत भाग में पानी भरा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गूगल इमेज वर्षाकाल नवम्बर, 21 माह की है जिस कारण पानी भरा हुआ दिख रहा है। जनवरी — फरवरी माह से पानी उतर जाता है तथा खनन योग्य रेत उपलब्ध होती है जिसकी सूचना कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 में भी दी गई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आंवटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा खनन क्षेत्र का वह भाग जो नदी में डूबा है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लगभग 1.00 हे. क्षेत्र रेत खनन हेतु उपलब्ध है जिसमें से स्वीकृत मात्रा 5000 घनमीटर रेत प्राप्त की जा सकती है तथा इसका परिवहन आंवटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से “कनवरजेंस स्कीम” (संमिलन योजना) के तहत कराये। यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक— बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 5,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.38 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.08 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 05.82 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे।
5. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	---------------------------------------	---------------------	---------------------

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (500) 4-5 पंक्ति - कटंग बांस (400) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (100)	1000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3150
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	750
कुल			4900

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.27 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम कंजोली स्थित आंगनवाड़ी में निम्नानुसार कार्य किये जावेंगे :- मरम्मत कार्य तथा सौन्दर्यीकरण	27,300

6. Case No 9585/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Ajeetpura Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (7920 cum per annum) (Khasra No. 01), Village-Ajeetpura, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village - Ajeetpura, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 24 दिनांक 02/01/2023 (खदान हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

दिख रहा है / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है ।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन् क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दतिया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ हैं जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करे । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से खनिज अधिकारी ने (ई-मेल के माध्यम से) सूचित किया है कि सेक की बैठक दिनांक 21 फरवरी के परिपालन में जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर रहे हैं अतः इनके अनुसार डी.एस.आर. में संशोधन एवं रेत खनन् प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का कष्ट करे । द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है जिस कारण प्रकरण मीटिंग हेतु नियत किया गया है ।

आज दिनांक 25/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार खनिज अधिकारी

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट आधार पर पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान पाहुज नदी में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रस्तुत संशोधित जानकारी (पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023) अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्न क्रमांक-III पर 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-18,060 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7,920 m³/year घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया है अतः पर्यावरणीय स्वीकृति 7,920 घनमीटर हेतु ही अनुशंसित की जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के दक्षिण-पश्चिम भाग में पानी भरा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा खनन क्षेत्र का वह भाग जो नदी में डूबा है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के दक्षिण भाग से किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से “कनवरजेंस स्कीम” (संमिलन योजना) के तहत कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक- बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 7,920 मी³ प्रति वर्ष।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.62 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.06 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये रूपये 03.40 लाख । शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे ।
5. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (300) 4-5 पंक्ति - कटंग बांस (200) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (100)	600
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2000
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	400
कुल			3000

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.42 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम अजीतपुरा स्थित आंगनवाड़ी में निम्नानुसार कार्य किये जावेंगे :- 1. विद्यालय में झूले एवं फिसलपट्टी लगवाई जाएगी । 2. मरम्मत कार्य तथा सौन्दर्यीकरण	42,100

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

7. Case No 9591/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Mustara Sand Quarry in an area of 4.740 ha. (9,900 cum per annum) (Khasra No. 503, 596), Village-Mustara, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 503, 596), Village-Mustara, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.740 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 09 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये। प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई-मेल के माध्यम से

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

सूचित किया है कि दतिया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ हैं जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ हैं। उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करे। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जायें।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से खनिज अधिकारी ने (ई-मेल के माध्यम से) सूचित किया है कि सेक की बैठक दिनांक 21 फरवरी के परिपालन में जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर रहे हैं अतः इनके अनुसार डी.एस.आर. में संशोधन एवं रेत खनन प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का कष्ट करे। द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है जिस कारण प्रकरण मीटिंग हेतु नियत किया गया है।

आज दिनांक 25/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट आधार पर पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान पाहुज नदी में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रस्तुत संशोधित जानकारी (पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023) अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्न क्रमांक-III पर 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-14,100 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 9,990 m³/year घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था अतः समिति की अनुशंसा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति 9,990 घनमीटर हेतु ही अनुशंसित की जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान नदी के कुछ भाग में व नदी के किनारे के भाग में आवंटित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह नदी का ही भाग है तथा लगभग 02.00 मीटर रेत जमा होने के कारण नदी

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

द्वारा रास्ता बदल लिया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नदी के पूर्वी भाग में पानी भरा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा खनन क्षेत्र का वह भाग जो नदी में डूबा है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तरी भाग से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के दो भागों में वृक्ष लगे हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिन भागों में वृक्ष लगे हैं उनको नॉन माइनिंग छोड़ा गया है तथा खनन हेतु लगभग 01.980 हे. का क्षेत्र उपलब्ध रहेगा जो स्वीकृत खनन मात्रा 9,990 घनमीटर हेतु पर्याप्त है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से “कनवरजेंस स्कीम” (संमिलन योजना) के तहत कराये। यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों संलग्नक- बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 9,990 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.06 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.08 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये रुपये 05.47 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

5. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (500) 4-5 पंक्ति - कटंग बांस (248) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (200)	948
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलौं, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3091
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर, ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	711
कुल			4800

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.52 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम मुस्तारा स्थित अंगनवाड़ी में पुताई एवं मरम्मत का कार्य किया जाएगा एवं बच्चों को खिलौने दिये जाएंगे।	52,600

8. **Case No 9593/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Basaimalak-2 Sand Quarry in an area of 4.980 ha. (11,970 cum per annum) (Khasra No. 292, 295, 296), Village-Basaimalak-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP).**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 292, 295, 296), Village-Basaimalak-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.980 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 26 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है ।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरु खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दतिया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ हैं जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ हैं । उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करे । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से खनिज अधिकारी ने (ई-मेल के माध्यम से) सूचित किया है कि सेक की बैठक दिनांक 21 फरवरी के परिपालन में जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर रहे हैं अतः इनके अनुसार डी.एस.आर. में

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

संशोधन एवं रेत खनन प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का कष्ट करे । द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है जिस कारण प्रकरण मीटिंग हेतु नियत किया गया है ।

आज दिनांक 25/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट आधार पर पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी के समीप स्थित खोदू-भरू खदान है, जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रस्तुत संशोधित जानकारी (पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023) अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्न क्रमांक—III के सरल क्रमांक — 09 पर दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवाहन आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से “कनवरजेंस स्कीम” (संमिलन योजना) के तहत कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक— बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 11,970 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.42 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.08 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 05.82 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे।
5. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	पट्टा सीमा के किनारे – (घना वृक्षारोपण)	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलों, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3150
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	750
कुल			4900

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.63 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम बसईमलक स्थित प्राथमिक विद्यालय में निम्नानुसार कार्य किये जावेंगे :- विद्यालय में मरम्मत कार्य तथा सौन्दर्यीकरण एवं पुताई करवाई जाएगी।	63,600

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

9. Case No 9594/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Madikheda Sand Quarry in an area of 4.900 ha. (23,393 cum per annum) (Khasra No. - 01), Village- Madikheda, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village- Madikheda Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.900 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 28 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दतिया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ हैं जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ हैं। उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करे। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जायें।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से खनिज अधिकारी ने (ई-मेल के माध्यम से) सूचित किया है कि सेक की बैठक दिनांक 21 फरवरी के परिपालन में जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर रहे हैं अतः इनके अनुसार डी.एस.आर. में संशोधन एवं रेत खनन प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का कष्ट करे। द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है जिस कारण प्रकरण मीटिंग हेतु नियत किया गया है।

आज दिनांक 25/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट आधार पर पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रस्तुत संशोधित जानकारी (पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023) अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्न क्रमांक-III पर 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-39,535 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 23,393 m³/year घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था अतः समिति की अनुशंसा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति 23,393 घनमीटर हेतु ही अनुशंसित की जाये।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के 80-85 प्रतिशत भाग में पानी भरा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गूगल इमेज वर्षाकाल नवम्बर, 21 माह की है जिस कारण पानी भरा हुआ दिख रहा है। जनवरी - फरवरी माह से पानी उतर जाता है तथा खनन योग्य रेत उपलब्ध होती है जिसकी सूचना कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 में भी दी गई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा खनन क्षेत्र का वह भाग जो नदी में डूबा है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लगभग 01.559 हे. क्षेत्र रेत खनन हेतु उपलब्ध है जिसमें से स्वीकृत मात्रा 23,393 घनमीटर रेत प्राप्त की जा सकती है तथा इसका परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से "कनवरजेंस स्कीम" (संमिलन योजना) के तहत कराये। यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक- बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 23,393 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.63 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.13 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

4. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 05.82 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे ।
5. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (500) 4-5 पंक्ति - कटंग बांस (300) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (200)	1000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलौ, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3150
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	750
कुल			4900

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.24 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम मड़ीखेड़ा स्थित माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर लेब के लिए 2 कम्प्यूटर दिया जाएगा	50000
ग्राम मड़ीखेड़ा स्थित माध्यमिक विद्यालय में पुताई, मरम्मत कार्य तथा सौन्दर्यीकरण	74,200
	1,24,200/-

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

10. Case No 9595/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Marseni Khurd Sand Quarry in an area of 4.800 ha. (14,962.5 cum per annum) (Khasra No. 01), Village-Marseni Khurd, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village-Marseni, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.800 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 27 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दतिया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ हैं जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ हैं। उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करे। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जायें।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से खनिज अधिकारी ने (ई-मेल के माध्यम से) सूचित किया है कि सेक की बैठक दिनांक 21 फरवरी के परिपालन में जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर रहे हैं अतः इनके अनुसार डी.एस.आर. में संशोधन एवं रेत खनन प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का कष्ट करे। द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है जिस कारण प्रकरण मीटिंग हेतु नियत किया गया है।

आज दिनांक 25/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट आधार पर पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रस्तुत संशोधित जानकारी (पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023) अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्न क्रमांक-III पर 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-37,800 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 14,962.5 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है अतः समिति की अनुशंसा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति 14,962.5 घनमीटर हेतु ही अनुशंसित की जाये।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के पूरे भाग में आवंटित है, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत भाग में पानी भरा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र का वह भाग जो नदी में डूबा है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम भाग से किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पानी भरे होने के कारण खनन योग्य क्षेत्र 0.995 हे. है, जिसमें स्वीकृत मात्रा अनुसार रेत उपलब्ध है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से “कनवरजेंस स्कीम” (संमिलन योजना) के तहत कराये। यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक— बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 14,962.50 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.27 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.08 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 05.64 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

5. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (500) 4-5 पंक्ति - कटंग बांस (300) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (160)	960
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलौ, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3120
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	720
कुल			4800

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.79 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
मर्सनीखुर्द शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 30 टेबल-चेयर का सेट दिया जाएगा।	79,500

11. Case No 9596/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Saletara Sand Quarry in an area of 4.840 ha. (14,940 cum per annum) (Khasra No. 814), Village-Saletara, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. - 814), Village-Saletara, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.840 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 10 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दतिया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ हैं जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है। उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करे। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से खनिज अधिकारी ने (ई-मेल के माध्यम से) सूचित किया है कि सेक की बैठक दिनांक 21 फरवरी के परिपालन में जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रपत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर रहे हैं अतः इनके अनुसार डी.एस.आर. में संशोधन एवं रेत खनन प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का कष्ट करे। द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है जिस कारण प्रकरण मीटिंग हेतु नियत किया गया है।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

आज दिनांक 25/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्राप्त 3 व 6 प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट आधार पर पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान पाहुज नदी में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रस्तुत संशोधित जानकारी (पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023) अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्न क्रमांक-III पर 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-28,800 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 14,940 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था अतः समिति की अनुशंसा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति 14,940 घनमीटर हेतु ही अनुशंसित की जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान क्षेत्र से नदी बह रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा खनन क्षेत्र का वह भाग जिसमें नदी बह रही है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी भाग से किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पानी भरे होने के कारण खनन योग्य क्षेत्र 01.494 हे. है, जिसमें स्वीकृत मात्रा अनुसार रेत उपलब्ध है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पाहुज नदी में आवंटित है जो म.प्र. एवं उ.प्र. की सीमा भी निर्धारित करती है किंतु दिये गये अक्षांश-देशांश के अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र का कुछ भाग गूगल इमेज अनुसार उत्तर प्रदेश में दृष्टिगत हो रहा है जिसमें संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गूगल इमेज अनुसार जो म.प्र. एवं उ.प्र. की सीमा दिख रही है वह इमेजनरी लाइन है तथा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के अनुसार खदान म.प्र. की सीमा में ही आवंटित है। समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पिट पास जारी करने के पूर्व संबंधित खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करले कि आवंटित खनन क्षेत्र म.प्र. की सीमा में ही है तथा खनन कार्य भी सिर्फ म.प्र. की सीमा में ही हो।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से “कनवरजेंस स्कीम” (संमिलन योजना) के तहत कराये। यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक— बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 14,940 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.22 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.08 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 05.71 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे।
5. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	---------------------------------------	---------------------	------------------------

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (500) 4-5 पंक्ति - कटंग बांस (300) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (160)	968
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलों, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3206
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	726
कुल			4900

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.79 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सलेतरा शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में 35 टेबल-चेयर का सेट दिया जाएगा।	79,400

12. Case No 9597/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Kuttauli Sand Quarry in an area of 4.600 ha. (27,740 cum per annum) (Khasra No. 1/1), Village-Kuttauli, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/1), Village-Kuttauli, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.600 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 22 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है ।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरु खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन् क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दतिया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ हैं जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करे । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से खनिज अधिकारी ने (ई-मेल के माध्यम से) सूचित किया है कि सेक की बैठक दिनांक 21 फरवरी के परिपालन में जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर रहे हैं अतः इनके अनुसार डी.एस.आर. में संशोधन एवं रेत खनन् प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का कष्ट करे । द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है जिस कारण प्रकरण मीटिंग हेतु नियत किया गया है ।

आज दिनांक 25/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट आधार पर पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान पाहुज नदी में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रस्तुत संशोधित जानकारी (पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023) अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्न क्रमांक—III पर 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल—27,600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 27,740 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था किंतु खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से सूचित किया गया है कि इस प्रकरण में स्वीकृत मात्रा 20,000 घनमीटर है, अतः समिति की अनुशंसा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति 20,000 घनमीटर हेतु ही अनुशंसित की जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के कुछ भाग में नदी बह रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्तमान गूगल इमेज नवम्बर, 22 की है तथा जनवरी फरवरी के पश्चात् पानी उतर जाने के बाद खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन क्षेत्र का वह भाग जो नदी में डूबा है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्व एवं पश्चिम भाग से किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पानी भरे होने के कारण खनन योग्य क्षेत्र 02.00 हे. है, जिसमें स्वीकृत मात्रा अनुसार रेत उपलब्ध है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से “कनवरजेंस स्कीम” (संमिलन योजना) के तहत कराये। यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक- बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 20,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.98 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.13 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 05.40 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे।
5. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (500) 4-5 पंक्ति – कटंग बांस (300) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (120)	920
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2990
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	690
कुल			4600

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.47 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम कुतोली स्थित माध्यमिक विद्यालय में 50 टेबल – चेयर का सेट दिया जाएगा ।	1,47,300

13. Case No 9598/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Kanjoli-1 Sand Quarry in an area of 3.460 ha. (3,990 cum per annum) (Khasra No. 138), Village-Kanjoli-1, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. - 138), Village-Kanjoli-1, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 3.460 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 16 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है ।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दतिया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ हैं जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ हैं। उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करे। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से खनिज अधिकारी ने (ई-मेल के माध्यम से) सूचित किया है कि सेक की बैठक दिनांक 21 फरवरी के परिपालन में जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर रहे हैं अतः इनके अनुसार डी.एस.आर. में संशोधन एवं रेत खनन प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का कष्ट करे। द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है जिस कारण प्रकरण मीटिंग हेतु नियत किया गया है।

आज दिनांक 25/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट आधार पर पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंह नदी के पास स्थित खोदू-भरू खदान है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है तथा रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से प्रस्तुत संशोधित जानकारी अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्न क्रमांक-III के सरल क्रमांक – 25 पर पर दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतः समिति की यह अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से “कनवरजेंस स्कीम” (संमिलन योजना) के तहत कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक- बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 3,990 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.26 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.08 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 3500 वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (500) 4-5 पंक्ति – कटंग बांस (300) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेवी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (120)	692
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलों, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2289

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	519
कुल			3500

5. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.21 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम कंजोली स्थित प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण	21,200

14. Case No 9600/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Ruhera Sand Quarry in an area of 4.600 ha. (9,975 cum per annum) (Khasra No. 765, 2222), Village-Ruhera, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 765, 2222), Village-Ruhera, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.600 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 29 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन् क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दतिया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ हैं जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ हैं । उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देंगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करें । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जायें ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से खनिज अधिकारी ने (ई-मेल के माध्यम से) सूचित किया है कि सेक की बैठक दिनांक 21 फरवरी के परिपालन में जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर रहे हैं अतः इनके अनुसार डी.एस.आर. में संशोधन एवं रेत खनन् प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का कष्ट करें । द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है जिस कारण प्रकरण मीटिंग हेतु नियत किया गया है ।

आज दिनांक 25/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर दिया गया है । समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट आधार पर पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रस्तुत संशोधित जानकारी (पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023) अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्न क्रमांक—III पर 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल—24,768 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 9,975 m³/year पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था किंतु अतः समिति की अनुशंसा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति 9,975 घनमीटर हेतु ही अनुशंसित की जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान दो भागों में आवंटित है, जिसका बी भाग (दक्षिण) पूर्ण रूप से पानी में डूबा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के ए भाग (नदी के उत्तरी दिशा में क्षेत्र लगभग 2.2 हे.) जिसमें से 1.0 हे. क्षेत्र में ही खनन प्रस्तावित किया गया है, जिसमें पानी नहीं है तथा स्वीकृत खनन योग्य मात्रा उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम भाग से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के ए भाग से रोड़ ब्रिज दक्षिण दिशा में 1200 मीटर की दूरी पर है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से “कनवरजेंस स्कीम” (संमिलन योजना) के तहत कराये। यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक— बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 9,975 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.99 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.08 लाख प्रति वर्ष।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 05.40 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे ।
5. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (500) 4-5 पंक्ति - कटंग बांस (300) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (120)	920
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलों, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2990
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	690
कुल			4600

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.53 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
रुहेरा आंगन बाड़ी के ग्राउंड और बाउंड्री वाल की मरम्मत का कार्य किया जाएगा एवं उसमे एक झूला लगाया जाएगा	53,000

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

15. Case No 9602/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Dhamna Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (9,900 cum per annum) (Khasra No. 935), Village-Dhamna, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 935), Village-Dhamna, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.900 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 29 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दतिया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ हैं जिस कारण वे

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है। उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करे। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जायें।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से खनिज अधिकारी ने (ई-मेल के माध्यम से) सूचित किया है कि सेक की बैठक दिनांक 21 फरवरी के परिपालन में जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर रहे हैं अतः इनके अनुसार डी.एस.आर. में संशोधन एवं रेत खनन प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का कष्ट करे। द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है जिस कारण प्रकरण मीटिंग हेतु नियत किया गया है।

आज दिनांक 25/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट आधार पर पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान पाहुज नदी में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रस्तुत संशोधित जानकारी (पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023) अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्न क्रमांक-III पर 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेण्शियल-14,040 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 9,900 m³/year पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया अतः समिति की अनुशंसा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति 9,900 घनमीटर हेतु ही अनुशंसित की जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के अधिकांश भाग में पानी भरा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दर्शित गूगल इमेज वर्षाकाल अर्थात् सितम्बर, 22 की है तथा जनवरी – फरवरी माह से पानी उतर जाता है तथा खनन योग्य रेत उपलब्ध होती है जिसकी सूचना कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

जारी पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 में भी दी गई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन क्षेत्र का वह भाग जो नदी में डूबा है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा रेत का परिवाहन आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिमी भाग से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तर-पूर्वी भाग में 65 मीटर की दूरी पर जल रोकने संरचना निर्मित है, जिसमें संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जल रोकने संरचना के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में 35 मीटर का सेटबैक छोड़ा गया है तथा खनन हेतु 01.980 हे. क्षेत्र उपलब्ध है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पाहुज नदी में आवंटित है जो म.प्र. एवं उ.प्र. की सीमा भी निर्धारित करती है किंतु दिये गये अक्षांश-देशांश के अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र का कुछ भाग गूगल इमेज अनुसार उत्तर प्रदेश में दृष्टिगत हो रहा है जिसमें संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गूगल इमेज अनुसार जो म.प्र. एवं उ.प्र. की सीमा दिख रही है वह इमेजनरी लाईन है तथा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के अनुसार खदान म.प्र. की सीमा में ही आवंटित है। समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पिट पास जारी करने के पूर्व संबंधित खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करले कि आवंटित खनन क्षेत्र म.प्र. की सीमा में ही है तथा खनन कार्य भी सिर्फ म.प्र. की सीमा में ही हो।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से “कनवरजेंस स्कीम” (संमिलन योजना) के तहत कराये। यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक— बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 9,900 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.49 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.08 लाख प्रति वर्ष।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 06.00 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे ।
5. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (500) 4-5 पंक्ति - कटंग बांस (400) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (100)	1000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3200
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	800
कुल			5000

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.52 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम धमना स्थित माध्यमिक विद्यालय में झूले एवं फिसलपट्टी लगवाई जाएगी।	20,000
मरम्मत कार्य तथा सौन्दर्यीकरण	32,600
योग	52,600

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

16. Case No 9631/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Ajeetpura-2 Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (17,955 cum per annum) (Khasra No. 514), Village-Ajeetpura-2, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP).

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 514), Village-Ajeetpura-2, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP). 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 23 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश-देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश-देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को-आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को-आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा है / आवंटित खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरु खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दतिया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ हैं जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ हैं। उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करें। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जायें।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से खनिज अधिकारी ने (ई-मेल के माध्यम से) सूचित किया है कि सेक की बैठक दिनांक 21 फरवरी के परिपालन में जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर रहे हैं अतः इनके अनुसार डी.एस.आर. में संशोधन एवं रेत खनन प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का कष्ट करें। द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है जिस कारण प्रकरण मीटिंग हेतु नियत किया गया है।

आज दिनांक 25/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट के साथ संशोधन पत्र प्रापत्र 3 व 6 प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में त्रुटिपूर्ण खसरो में सुधार कर डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट आधार पर पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान पाहुज नदी में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रस्तुत संशोधित जानकारी (पत्र क्रमांक 334 दिनांक 13/04/2023) अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्न क्रमांक-III पर 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेण्शियल-18,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 17,955 m³/year पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था अतः समिति की अनुशंसा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति 17,955 घनमीटर हेतु ही अनुशंसित की जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग में कुछ पेड़ लगे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

कि इनको काटा नहीं जायेगा तथा इस क्षेत्र में से रेत नहीं निकाली जायेगी तथा रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से “कनवरजेंस स्कीम” (संमिलन योजना) के तहत कराये। यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक- बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 17,955 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 07.17 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.13 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 02.95 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे।
5. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे तथा आगामी 02 वर्षों की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा करेंगे :-

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास ;200द्व 4-5 पंक्ति - कटंग बांस ;200द्व 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां ;100द्व	500
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	400
कुल			2400

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.95 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम अजीतपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय में झूले एवं फिसलपट्टी लगवाई जाएगी	45400
ग्राम अजीतपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत कार्य तथा सौन्दर्यीकरण	50000
योग	95, 400/-

17. Cases where PP has not submitted the desired information/pending since long/ remains absent from the SEAC meeting:

Following cases were appraised in various SEAC meetings wherein online query/clarification was sought from PP but even after 30 days reply/response from the PP is awaited:

SN	Case No. Activity	SEAC Meeting details in which query/clarification was sought from PP.
1.	Case No 9548/2022 Smt. Indra Farkya, Owner R/o, Shamgarh, Tehsil-Shamgarh, District-Mandsaur (MP)-456010 Prior Environment Clearance for Takrawad Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (11400 Cum per annum) (Khasra No. 870), Village-Takrawad, Tehsil- Shamgarh, District-Mandsaur (MP)	Q- 618 nd dated 11/1/2023

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

2.	Case No 9474/2022 M/s Prakashdeep Minerals partner Shri Jairaj Singh R/o LIG-3/27/306, Nehru Nagar, District Rewa (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.820 ha. (31946 Cum per annum) (Khasra No. 6/1, 13/1), Village - Harrai Gujran, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP)	Q- 620 nd dated 13/1/2023
3.	Case No 9166/2022 Shri Shankar Manchani, Napier Town, 88, Infront of Goodwill Complex, Dist. Jabalpur, MP - 482001 Prior Environment Clearance for Construction of "Muskan Park" (Hotel & Residential Building of House Corporation) [Total Project Area = 7544.14 sqm (0.75 ha.), Built-up Area = 34145.10 sqm] at Plot No. 7/2, 7/2-K, Napier Town, Tehsil & Dist. Jabalpur, (MP) (Cat. 8(a) Building and Construction Project) Env. Global Management and Engineering Consultant International, Jaipur (Raj.)	Q- 613 nd dated 22/12/2022

Committee observed that PP of above cases have not submitted the desired information and cases are pending since long. In the entire above cases online query was raised through EDS. As per MoEF&CC OM dated 15/03/21 if:

“the reply to EDS is not received on PARIVESH within 30 days, the proposal will be excluded from the pendency list shown on PARIVESH. However, the PP can relist the proposal through their respective login provisions, as and when they want to submit the EDS reply”.

Recently, SEIAA vide letter no. 2590 dated 15/12/21 has communicated policy decision taken in their 694th meeting dated 26/11/2. According to the policy decision taken by SEIAA at point no.08 (SEAC should make final recommendations within 30 days for EC/TOR).

The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

18. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – जबलपुर (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर)

आज दिनांक 25/04/2023 को जबलपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा हेतु खनिज अधिकारी श्री प्रदीप तिवारी उपस्थित हुए। जबलपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अवलोकन करने पर समिति ने पाया कि जिले की पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पत्र क्र०. 72 दिनांक 19/04/23 से सेक प्राप्त हुई है। पत्र में उल्लेख है, कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिति का अनुमोदन की जाकर 21 दिवस हेतु दिनांक 18/04/2023 को जिला पोर्टल पर दावे/आपत्ति हेतु अपलोड किया गया है। उपरोक्त अवधि में आमजन द्वारा कोई/ आपत्ति/दावे प्राप्त होते हैं तो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सुधार

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

किया जाकर पुनः प्रस्तुत की जावेगी। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जबलपुर को परीक्षण करने पर यह पाया कि जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर क्र०-03 पेज न०. 18-53 में गिट्टी एवं मुरुम की जानकारी तथा पेज न०. 54-68 में 31 गौण खनिजों (फायर क्ले, लेटेराइट, रेड ओकर, सिलिका सैंड, डोलोमाइट, सोप स्टोन, क्वार्टज आदि (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर) की खदान वार जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है। जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंत में टेबल (पेज न०. 107-133) में दे दी गई है।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला- जबलपुर के पत्र क्र० 72 दिनांक 19/04/23 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड हुई अभी 21 दिन नहीं हुए हैं जिस संबंध में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा हेतु खनिज अधिकारी श्री प्रदीप तिवारी ने बताया कि आज दिनांक तक कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं तथा यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होते हैं तो उनको जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल कर पुनः अनुमोदन हेतु सिया को प्रस्तुत किया जायेगा। समिति ने अनुशंसा की कि समिति जबलपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज-रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित इस शर्त के साथ की जाय कि "यदि जबलपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होते हैं तो उनको जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल कर खनिज अधिकारी पुनः अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

19. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – दतिया (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर)

आज दिनांक 25/04/2023 को दतिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) के प्रपत्र क्र०. III एवं VI में त्रुटिपूर्ण खसरों में सुधार कर D.G.P.S. Cordintes के साथ जिला कलेक्टर खनिज शाखा, जिला दतिया द्वारा पत्र क्र०. 334 दिनांक 13/04/2023 को ई-मेल के माध्यम से दिनांक 19/04/2023 को सेक शाखा में प्रेषित की गई है।

सेक की 622वीं बैठक दिनांक 21 फरवरी 2023 एवं सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13 मार्च 2023 को दतिया जिले की रेत खदानों के पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि

दिनांक 21/02/23 को दतिया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवांटीत स्थल रिवर सैंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरु खनन का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता। समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवांटीत खनन क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25 अप्रैल 2023

अतः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) के प्रपत्र क्र०. III एवं VI में त्रुटिपूर्ण खसरा में सुधार कर D.G.P.S. Co-ordinates के साथ जिला कलेक्टर खनिज शाखा, जिला दतिया दिनांक 19/04/2023 को सिया एवं सेक को प्रेषित की गई । समिति ने परीक्षण दौरान पाया कि जिला खनिज अधिकारी द्वारा उपरोक्त संशोधन कर प्रपत्र III एवं VI में त्रुटिपूर्ण खसरा में सुधार कर D.G.P.S. Co-ordinates भी प्रस्तुत कर दिये गये हैं अतः समिति की अनुशंसा है कि कलेक्टर खनिज शाखा, जिला दतिया के पत्र क्र०. 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से प्राप्त प्रपत्र क्र०. III एवं VI में सुधार व D.G.P.S. Co-ordinates दतिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) में संशोधन व आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।



(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

- an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टीपल जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

639वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023

नोट 4 :- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण । जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बाँस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर